

पत्र सं०-६/३७-४८/२००२- २६१८

झारखंड सरकार  
मानव संसाधन विकास विभाग  
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

श्री महावीर प्रसाद, भा०प्र०से०  
निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,  
झारखंड, राँची ।

सेवा में,

सचिव,  
सी०बी०एस०ई०,  
नई दिल्ली ।

राँची, दिनांक- ११-४-२००२

विषय:- झारखंड राज्य के अन्तर्गत निजी विद्यालयों को सी.बी.एस.ई. से  
संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त सी.बी.एस.ई. से निजी विद्यालय को संबद्धता के लिये निम्नांकित विद्यालयों को नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धुओं के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है ।

क्रमांक

विद्यालय का नाम

1. ग्रीन लैण्ड पब्लिक स्कूल हटिया, राँची ।
2. स्वामी श्रद्धानन्द डी.ए.भी., राँची ।
3. डी.ए.भी. नन्दराज, पब्लिक स्कूल, पी.एल.सी. कॉलेनी बर्द्धमान कम्पाउन्ड, राँची ।
4. विमला पाण्डेय मेमोरियल ज्ञान निकेतन विद्यालय, सुदना, डालटेनगंज ।
5. डी.ए.भी. पब्लिक स्कूल, गोकुलपुर, पाकुड़ ।
6. लेडी.के.सी.राय मेमोरियल, रातु रोड, राँची ।

शर्तें:-

अ 1. विद्यालय की वार्षिक बचत आय का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित

११/४/०२  
१४/४/०२  
०३०



नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में ही किया जायेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्तों के बराबर भुगतान करना होगा।

2. विद्यालय को सरकार से किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा।

3. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में दो एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में चार एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निर्बाधित या कम से कम 30 वर्षों के निर्बाधित पट्टा/लीज पर होना चाहिए।

4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई निश्चित रूप से होनी चाहिए।

5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फी नहीं लिया जायेगा।

6. गरीबी रेखा से नीचे के विद्यार्थियों के नामांकन के लिए कम से कम 10 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेगा तथा उनसे लिया जानेवाला शुल्क सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत होगा।

7. विद्यालय का कार्यक्रम राष्ट्रहित में होना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रियता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों के विकास, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धन शारीरिक विकास एवं व्यक्तित्व विकास हेतु सकारात्मक प्रयास करना होगा।

8. विद्यालय में विद्यार्थियों की समुचित संख्या होनी चाहिए तथा उनके अनुपात में शिक्षकों की भी संख्या होनी चाहिए।

9. नामांकन के लिए स्वीकृत स्थान, नामांकन प्रक्रिया, विद्यालय कर्मियों की संख्या, उनकी अपेक्षित योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया आदि में समय-समय पर सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी।

10. विद्यालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शासी निकाय के सदस्यों की कार्य अवधि पूरा होने पर नये सदस्यों की सूची संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को कार्यालय में जमा करना होगा।

11. विद्यालय में राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के स्कैटेशन प्रोग्राम तथा एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट एवं गाईड आदि की सुचारु रूप से करना होगा।

18/11/2020  
14.11.2020 कृ०पृ०३०



12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त है तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5.9.2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा। अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित रहेगा।


13. उपर्युक्त शर्त/शर्तों या बन्धन/बन्धनों के अनुपालन नहीं करने पर राज्य में समीक्षोपरान्त निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द करने का अधिकार होगा।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विद्यालय द्वारा समर्पित कागजात एवं अभिलेख यदि जाली अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न पाये जायं, विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्यहित के विरुद्ध कृत्य किया जा रहा हो या ऐसा कार्य किया जा रहा हो जिससे समाज में कटुता फैले तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है।

15. अनापत्ति की शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमिक अनियमितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्य वापस कर सकेगी।

16. एतद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।


विश्वासभाजन



महावीर प्रसाद  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय,  
झारखंड, राँची।

ज्ञापक- 2618 / राँची, दिनांक- 14 - अप्रैल, 2002

प्रतिलिपि- संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को सूचनार्थ प्रेषित।



महावीर प्रसाद  
निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,  
झारखंड, राँची।